ग्राम पंचायत छलाडा, विकास खण्ड भटियात व तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत छलाडा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 4/15 से 3/18 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति पूजा देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री अनीशा कुमारी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गिरधारी लाल	30-09-2009 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र0सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹लाखों में}
1.	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.11
2.	6	अनुदान राशियों का अवरोधन	7.78
3.	9	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना क्रय	2.72
4 .	10	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	4.81

भाग –दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत छलाडा, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2015 से 31/03 /2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16-05-2018 से 20 -05-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय छलाड़ा में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02 /16 ,09/16 व 07/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07/15, 02/17 व 02/18 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत छलाड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 4/15 से 3/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹7200** बनता है ।उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:123 दिनांक 19-05-17 द्वारा सचिव, पंचायत छलाड़ा से अनुरोध किया गया ।उक्त राशि को सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट सं0 540634 दिनांक 19-05-18 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई है ।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत छलाडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/15 से 3/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्व स्त्रोत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	26628	29626	56254	3050	53204
2016-17	53204	15031	68235	2700	65535
2017-18	65535	34105	99640	21686	77954

(ख) अनुदान :-ग्राम पंचायत छलाडा के अवधि 4/15 से 3/18 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015 -16	548208	3195475	3743683	3595773	147910
2016-17	147910	3775451	3923361	2828796	1094565
2017-18	1094565	2065721	3160286	2382026	778260
			कुल अन्तिम शेष (क+ख)		**856214**

31-3-18 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण:-

क्रम सं 0	बैंक का नाम	खाता सं	राशि (₹)
1.	HPSCB sihunta	19010106064	268541
2.	----do------	19010111252	32920
3.	----do-----	19010108269	506976
4.	-----do----	19010106721	57787
		cash in hand	170
		TOTAL	**866394**

(ग) बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-18 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹866394

(ख) दिनांक 31-3-18 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹856214

अन्तर :- 10180

अन्तर का कारण :-

चैक जारी किए परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए :-

चैक न०	दिनांक	फर्म का नाम	राशि (₹)
941136	23-08-17	शर्मा स्टूडियो	280
943674	13-03-18	देश राज	6300
943	28-03-18	बलजीत	3600
		जोड़	**10180**

(घ) रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत छलाड़ा की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। सचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ बही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया ,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था । अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5 **पंचायत राजस्व ₹0.11 लाख वसूली हेतु शेष:-**

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-18 तक पंचायत राजस्व ₹10600 वसूली हेतु शेष था जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए:–

गृहकरः–

वर्ष	आ0 शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	6600	6900	13500	13500	0
2016-17	0	7300	7300	0	7300
2017-18	7300	18650	25950	15350	10600

6 **अनुदान ₹7.78 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹778260 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि

को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 122 दिनांक 18-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत छलाड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

7 निर्माण सामग्री ₹0.02 लाख के दुर्विनियोजन की सम्भावनाः–

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि इन निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री वास्तविक उपयोग की गई सामग्री की तुलना में अधिक क्रय की गई तथा शेष बची सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में भी शेष नहीं दर्शाया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि शेष सामग्री का दुर्विनियोजन किया गय है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए।

(क)C/O रास्ता चस्मा से प्रीतम हाउस :-

माप पुस्तिका सं0 व पृष्ठ सं0	**खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा**	**माप पुस्तिका अनुसार उपयोग मात्रा**	**अधिक खरीदी निर्माण सामग्री**	**क्रय की गई दर**	**अधिक भुगतान**
2641 पृष्ठ 7-9	3.93m3 रेत	3.26m3	0.67m3	1270 प्रति cum	851
	6.17m3 बजरी	5.53m3	0.64m3	1270 प्रति cum	813
				कुल जोड़	**1664**

8 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा इन निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । अंकेक्षण अधियाचना सं 121 दिनांक 18-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत छलाड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

क्रम सं0	कार्य का नाम	शीर्ष
1.	रास्ता चश्मा से प्रीतम के घर तक	14वा वित्त आयोग
2.	मुरम्मत रास्ता मदन के घर से में रोड तक	यथोपरि
3.	मुरम्मत रास्ता मठी अम्ब सेरकेश कंवर हाउस	यथोपरि
4.	मुरम्मत रास्ता जी.पी.एस.थकोली से मशीन	यथोपरि
5.	मुरम्मत रास्ता जितेन्द्र के घर से सरदार के घर तक	यथोपरि
6.	मुरम्मत रास्ता में रोड से छत्तर सिंह के घर तक	यथोपरि
7.	मुरम्मत रास्ता हनीफ के घर से काकू के घर तक	यथोपरि
8.	मुरम्मत रास्ता दुर्धाला शमशेर के घर से बृजलाल अच्छर हाउस	यथोपरि
9.	मुरम्मत रास्ता चूर सिंह से चैनलाल	यथोपरि
10.	मुरम्मत रास्ता परताप चन्द हाउस तो सरवन हाउस	यथोपरि
11.	लिंक रोड बड़ोतु से ठेहडा	बी.आर.जी.एफ.

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.72 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है l व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹272330** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 120 दिनांक 18-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत छलाड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय की गई ₹4 .81 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डारण सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अवधि 04/15 से 3/18 के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹481337** की निर्माण सासमग्री के क्रय के स्टॉक प्रविष्टियाँ न ही प्रस्तुत की गई जिस बारे अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 120 दिनांक 18-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत छलाड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत

द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि एक गम्भीर मामला है l अतः क्रय की गई सामग्री की अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

11 निर्माण सामग्री की मात्रा बिल में न दर्शानाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार **पत्थर** की **21 ट्राली** की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई थी जिसके अभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो कि अनियमित है । अतः मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है व क्रय की गई सही मात्रा को सुनिश्चित करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को भी दिखाई जाए।

12 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था l अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 121 दिनांक 18-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत छलाड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया :-

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
5	रसीद बुक रजिस्टर
6	खाताबही
7	वर्गीकृत सार

13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

14 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l

15 **लघु-आपति विवरणिका :-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

16 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है ।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (xv)(vii) 29 / 2018 खण्ड–1–6123–6126 दिनांक–14.09.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत छलाड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0

हस्ता / 7
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881